



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270362
CG-DL-E-20022026-270362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 878]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947

No. 878]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

का.आ. 920(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यह समाधान हो जाने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के SPSR नेल्लौर जिले के नेल्लौर ग्रामीण मंडल के नेल्लौर बिट-II में एनएच-16 (पुराना एनएच-5) नेल्लौर बाईपास के किमी 1374+155 से किमी 1376+275 तक के खंड में, चिंता रेड्डीपालेम जंक्शन (किमी 1374+945) पर 6-लेन वाहन अंडरपास (VUP) और सर्विस रोड के निर्माण (चौड़ीकरण/पक्का शोल्डर के साथ दो लेन/चार लेन आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के अपने इरादे की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (1) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी (RDO), नेल्लौर को लिखित रूप में दी जाएगी और उसमें उसके आधार स्पष्ट किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्ति करने वाले को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी (वकील) के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी अन्य जांच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्लान और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के SPSR नेल्लौर जिले के नेल्लौर ग्रामीण मंडल के नेल्लौर बिट-II में, एनएच-16 के नेल्लौर बाईपास खंड के किमी 1374+155 से किमी 1376+275 तक, चिंता रेड्डीपालेम जंक्शन (किमी 1374+945) पर प्रस्तावित 6-लेन वीयूपी (वाहन अंडरपास) के निर्माण के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं सहित या बिना संरचनाओं वाली अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: एसपीएसआर नेल्लौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नेल्लौर ग्रामीण					
गांव का नाम: नेल्लौर बिट -II					
1	1190-1B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.1 (एकर)	0.0404695
2	1190-3A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.04 (एकर)	0.0161878
3	1190-4A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.03 (एकर)	0.0121408
4	1191-2A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.01 (एकर)	0.0040469
5	1199-2A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.24 (एकर)	0.0971267
6	1200-1B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.35 (एकर)	0.1416431
7	1201-2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (चैन ल पोराम्बोके)	0.17 (एकर)	0.0687981
8	1203-1B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.13 (एकर)	0.0526103
9	1203-3A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.11 (एकर)	0.0445164
10	1204-2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (चैन ल पोराम्बोके)	0.03 (एकर)	0.0121408
11	920-1B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.06 (एकर)	0.0242817
12	921-2A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	0.22 (एकर)	0.0890328
13	927-2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (रोड पोराम्बोके)	2.09 (एकर)	0.8458114
Total					1.4488063

[फा. सं. 20011/NHAI/PIU/NLR/N-B/CP-VUP/DPR/2025/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

S.O. 920(E).—In exercise of Powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning ect.,) maintenance, management and operation of Newly Proposed for construction of 6 lane Vehicle Under pass (VUP) on NH-16 at Chinthareddypalem Junction at KM.1374+945 along with service road in the stretch of land from KM.1374+155 to KM 1376+275 of NH-16 (old NH-5) Nellore Bypass of Nellore Bit-II of Nellore Rural Mandal in the District of SPSR Nellore in the state ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer Nellore in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the proposed for construction of 6 lane VUP (Vehicle Under Pass) National Highway-16 From Km.1374+155 to Km.1376+275 at Nellore Bypass section of NH-16 at Chinthareddypalem Junction KM.1374+945, Nellore Bit-II of Nellore Rural Mandal in the District of SPSR Nellore in the state of ANDHARA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: SPSR Nellore		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nellore Rural					
Village: Nellore Bit-II					
1	1190-1B	Private	Agriculture (Wet)	0.1 (Acre)	0.0404695
2	1190-3A	Private	Agriculture (Wet)	0.04 (Acre)	0.0161878
3	1190-4A	Private	Agriculture (Wet)	0.03 (Acre)	0.0121408
4	1191-2A	Private	Agriculture (Wet)	0.01 (Acre)	0.0040469
5	1199-2A	Private	Agriculture (Wet)	0.24 (Acre)	0.0971267
6	1200-1B	Private	Agriculture (Wet)	0.35 (Acre)	0.1416431
7	1201-2	Government	Non Agriculture (Channel Poramboke)	0.17 (Acre)	0.0687981
8	1203-1B	Private	Agriculture (Wet)	0.13 (Acre)	0.0526103
9	1203-3A	Private	Agriculture (Wet)	0.11 (Acre)	0.0445164
10	1204-2	Government	Non Agriculture (Channel Poramboke)	0.03 (Acre)	0.0121408
11	920-1B	Private	Agriculture (Wet)	0.06 (Acre)	0.0242817
12	921-2A	Private	Agriculture (Wet)	0.22 (Acre)	0.0890328

13	927-2	Government	Non Agriculture (Road Poramboke)	2.09 (Acre)	0.8458114
Total					1.4488063

[F. No. 20011/NHAI/PIU/NLR/N-B/CP-VUP/DPR/2025/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director